

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ0 9001-2008 प्रमाणित संस्थान)

महत्वपूर्ण सूचना

वर्ष सत्र 2017-18 के लिए डी0एड0 शिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता बारे।

इस बोर्ड से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त सभी संबंधित डी0एड0 संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष सत्र 2017-18 के लिए अस्थाई सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्ति की तिथियों में वृद्धि की जाती है, जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क 5000/-रूपये सहित
01-12-2017	08-12-2017

गत वर्ष की भांति अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 50000/-रूपये है। सम्बद्धता आवेदन पत्र का प्रोफोर्मा बोर्ड की वेबसाईट WWW.bseh.org.in से डाऊनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर NCTE, Jaipur से D.Ed Course चलाने की मान्यता/अनुमति के आदेशों की प्रति एवं नई समिति पंजीकरण की प्रति जो कि संस्थान के प्राचार्य से प्रमाणित की गई हों तथा स्टाफ स्टैटमेंट सलंगन करना आवश्यक है। सम्बद्धता शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के पदनाम से हो, स्वीकार किया जाएगा। एच0डी0एफ0सी0 बैंक में जमा करवाया गया शुल्क मान्य नहीं होगा आवेदन पत्र एवं शुल्क पंजीकृत डाक के माध्यम से सहायक सचिव (सम्बद्धता), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पदनाम से या बोर्ड मुख्यालय भिवानी में शुल्क एवं आवेदन पत्र दस्ती तौर पर जमा करवाए जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क, से कम शुल्क एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।

सहायक सचिव (सम्बद्धता)